

न्यायालय - माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर § म०प्र० §

प्रकरण क्रमांक / अधिका / 2012 निगरानी

R-3565/PBR/2012

भारोसा फू श्री ओषा निवासी वार्ड नंबर-12
ग्राम बिलौजा तहसील डबरा जिला ग्वालियर

... प्रार्थी

वनाम

मंशाराम फू श्री गोविन्दी खक , निवासी ग्राम
बरोठा तहसील डबरा जिला ग्वालियर..

2- म०प्र० शासन ... प्रतिप्रार्थीगण

3565/PBR/2012
1-
2-
16/10/12
सदस्य न्यायालय मध्य प्रदेश

निगरानी प्रार्थना फू अन्तर्गत धारा 50 भू. रा. संहिता विरुद्ध
आदेश दिनांक 25-9-2012 , न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त
बिलौजा , तहसील डबरा जिला ग्वालियर , प्रकरण क्रमांक 14/11-12/
अ- 27 मंशाराम वनाम म०प्र० शासन ।

महोदय ,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना फू निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

§1§ यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनायेदक
मंशाराम ने ग्राम बिलौजा में स्थित अधिदित भूमि कुल सर्वे क्रमांक
17 के बटवारा बाबत आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया ,
अधीनस्था नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कायम कर कार्यवाही
बटवारा हेतु प्रारंभ की । प्रार्थी भारोसा को जानकारी होने
पर प्रार्थी ने अधीनस्था नायब तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत
कर निवेदन किया कि प्रकरण में स्वत्व का विवाद है इसलिये धारा
173 §1§ के प्रौषीजों के अनुसार सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर
स्थागन लाने तक तीन माह के लिये कार्यवाही स्थागित की जावे ।

Rajaram
12.10.12
अधीनस्था

§2§ यह कि, अधीनस्था नायब तहसीलदार द्वारा प्रार्थी भारोसा की
आपत्ति बिना कोई कारण दिये आदेश दिनांक 25-9-12 को
आपत्ति निरस्त कर दी जिससे दुखित होकर यह निगरानी माननीय
न्यायालय में निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

6-5-2014

आवेदक की ओर से श्री उशोक
शर्मा अधिभाषक एवं शासित की
ओर से श्री एच० के० अग्रवाल
अधिभाषक (अस्थायी) आवेदक के
अधिभाषक द्वारा प्रकृत नहीं चढ़ाने
का अनुरोध किया गया। अनुरोध
स्वीकार किया जाता है प्रकृत
नहीं चढ़ाये जाने के कारण
समाप्त किया जाता है।

pu
अध्यापक

H.K. Jha
6-5-2014
H.K. Jha
21/11/14